सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं: 282 / 1021 / 12–13

दिनांक: 12 .05.2017

के मामले में :–

श्री बिजेन्द्र सिंह, R976
सी.बी.एम. मण्डल एम–3,
लोक नायक सेतु, यमुना वेस्ट बैंक,
आई.पी. इस्टेट,
नई दिल्ली–110002 — शिकायतकर्ता

बनाम

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
(द्वारा महानिदेशक), R977
ए–विंग, कमरा सं. 111,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110011 — प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख: 02.03.2017

उपस्थित:

1. शिकायतकता अनुपस्थित ।
2. प्रतिवादी अनुपस्थित ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, 50 प्रतिशत अस्थिबाधित ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत विकलांगजन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान न किए जाने से संबंधित शिकायत दिनांक 05.02.2013 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने नियोक्ता को क्रमश: पत्रों दिनांक 05.06.2007, 19.06.2007, एवं 15.03.2011 द्वारा अनुरोध किया था कि नि:शक्त कर्मचारियों को प्रोन्नति में तीन प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए । परन्तु उनके नियोक्ता द्वारा उक्त संबंध में कोई उचित कदम नहीं उठाया गया । परिणामस्वरूप नि:शक्त श्रेणी कोटा

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

बैकलॉग होता गया । दिनांक 03.04.2012 को निर्माण महानिदेशालय द्वारा निर्देश जारी किए गए कि उच्च श्रेणी लिपिक से कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति हैड लिपिक के मौजूदा नियुक्ति नियमों के अनुसार करे । परन्तु ग्रुप 'बी' के रूप में नए वर्गीकरण का हवाला देते हुए विकलांग कोटा लागू नहीं करने के दिशा–निर्देश जारी किए गए । इस प्रकार विकलांग कोटे का बैकलॉग खत्म कर दिया गया जिसके कारण पदोन्नत होने वाले कर्मचारी प्रोन्नति से वंचित हो गए । शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या 77 द्वारा केवल तीन कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये जबकि स्वीकृत संख्या का तीन प्रतिशत आदेश होना चाहिए था । दिनांक 26.11.2012 एवं 31.01.2013 को भी कार्यालय अधीक्षक के पदोन्नति आदेश जारी किये गये उनमें भी किसी निःशक्त कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 05.04.2013 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 22.12.2014 एवं 05.06.2015 को स्मरण–पत्र भी जारी किए गए ।

4. प्रतिवादी पक्ष ने अपने पत्र संख्या 21(4)/उ.म.नि. (समन्वयन) उ.क्षे./2015/2140 दिनांक 27.08.2015 द्वारा मामले में वांछित सूचनाएं इस न्यायालय को प्रेषित कीं ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने ईमेल दिनांक 19.02.2016 द्वारा मामले से अपने टिप्पण भेजते हुए उल्लेखित किया है कि उन्होंने प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2013 द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रोन्नति देने का अनुरोध किया था परन्तु कोई भी सूचना नहीं दी गई है । उनकी नियुक्ति दिनांक 11.08.1992 को दिव्यांग कोटे से हुई है । उन्होंने निम्न प्रकार से प्रोन्नति करने का अनुरोध किया था:–

दिनांक 11.08.1995 से उच्च श्रेणी लिपिक

दिनांक 11.08.2000 से मुख्य लिपिक

दिनांक 11.08.2005 से अधीक्षक ग्रेड–।।

उनका अनुरोध है कि उपरोक्त दी गई दिनांक को स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 3 प्रतिशत के अनुसार प्रोन्नत किया जाए । प्रतिवादी द्वारा भेजे गए संलग्नक इस विषय पर किसी भी तथ्य मेल नहीं खाते हैं उनके पत्र दिनांक 05.02.2013 की एक प्रति उप निदेशक (समन्वयन) उत्तरी क्षेत्र आर.के.पुरम को भेजे ताकि मामले का निपटान हो सके ।

6. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 14.08.2015 एवं 27.08.2015 एवं शिकायतकर्ता के ईमेल दिनांक 19.02.2016 के मद्देनजर मामले की सुनवाई दिनांक 02.03.2017 को निर्धारित की गई ।

7. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की ओर से दिनांक 02.03.2017 को सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के नोटिस दिनांक 07/13.02.2017 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी।

8. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के नियम 42(4) की दृष्टि से शिकायत की पैरवी न करने के कारण गुणतारहित होने से खारिज की जाती है ।

9. शिकायत खारिज की गई ।

कमलेश कुमार

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन